सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

ज्येष्ठ 31, मंगलवार, शाके 1944-जून 21, 2022

*Jyaistha 31, Tuesday , Saka 1944- June 21, 2022*

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर**

अधिसूचना

**जयपुर, जून 06, 2022**

**संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/3391** :-विभागीय अधिसूचना क्रंमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मण्डावर क्षेत्र (जिला दौसा ) को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका विभागीय समसंख्य अधिसूचना क्रंमांक 1061 दि. 20.5.2022 के द्वारा घोषित किया गया था । निर्देशानुसार नवगठित नगर पालिका मण्डावर की सीमा में निर्देशानुसार समीप के राजस्व ग्रांम पाखर, जैतपुर, करणबास, सायपुर की सीमा को भी सम्मितिलत किया जाता है। अब नवगठित नगर पालिका की सम्पूर्ण सीमा निम्न प्रकार हो जावेगीः-

| क्र.सं. | जिला | नवगठित नगर पालिका का नाम | नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 01. | दौसा | मण्डावर | ग्रांम पंचायत मण्डावर के ग्रांम मण्डावर एवं राजस्व ग्रांम पाखर, जैतपुर, करणबास, सायपुर को सम्मिलित करते हुए कुल (जनंसख्या - 16,485 ) जनगणना 2011 के अनुसार |

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत मण्डावर एवं राजस्व ग्रांम पाखर, जैतपुर, करणबास, सायपुर की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
हृदेश कुमार शर्मा,
**निदेशक एवं संयुक्त सचिव।**



**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**